

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

तीसरा तल, इंडियन आयल भवन,

1, श्री अरविंदो मार्ग, युसफ सराय

नई दिल्ली -110016

ए-110014/10/2020/ सी ए क्यू एम -एस बी -389-392 दिनांक: 10.06.2021

विषय: पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक प्रभावी ढांचा, कार्य योजना उपलब्ध कराना और उठाए जाने वाले कदम।

1. जबकि, यह एक स्थापित तथ्य है कि विशेष रूप से अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली जलाना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में गिरावट प्रदूषकों जैसे के पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), सल्फर के ऑक्साइड (SO_x) और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x); के सघनता स्तर में वृद्धि के कारण होती है।
2. जबकि, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021 (इसके बाद अध्यादेश 2021 के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) दिनांक 23 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या 1697 (ई) के तहत गठन किया है।
3. जबकि, अध्यादेश 2021 की धारा 30 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 के तहत गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (इसके बाद अध्यादेश 2020 के रूप में संदर्भित) के तहत आयोग द्वारा की गई कार्रवाई अध्यादेश 2021 के प्रावधान के तहत की गयी मानी जाएगी।

4. जबकि, अध्यादेश 2021 की धारा 12 आयोग को एक प्रभावी ढांचा, कार्य योजना प्रदान कराने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का अधिदेश देती है।

5. जबकि, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जीएनसीटीडी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों सहित राज्य सरकारों पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), जैसे ज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज समूह आदि; के साथ बैठकों की एक श्रृंखला में प्रमुख संबद्ध हितधारकों के साथ पराली जलाने/फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पर विचार-विमर्श किया है।

6. जबकि, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों और पंजाब में से प्रत्येक को अन्य बातों के साथ-साथ, हुई चर्चाओं/निर्णयों के आधार पर फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है, और आयोग की बैठकों और विचारों को पत्रों के माध्यम से संप्रेषित किया गया।

7. जबकि, राज्य सरकारों से प्राप्त कार्य योजना और/या अन्य इनपुट का आयोग द्वारा अध्ययन किया गया है।

8. जबकि, हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान सामने आए फीडबैक, इनपुट और कार्यान्वयन योग्य कार्रवाई बिंदुओं के आधार पर आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पराली जलाने पर नियंत्रण/उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित रूपरेखा तैयार की है।

9. और इसलिए, आयोग अध्यादेश 2021 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी को निर्देश देता है कि स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त राज्य विशिष्ट विस्तृत कार्य योजना तैयार करके कार्यान्वित करेंगे और मोटे तौर पर निम्नलिखित ढांचे के आधार पर पराली जलाने को नियंत्रित और समाप्त करेंगी:-

10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए रूपरेखा तैयार करना

(क) पृष्ठभूमि:- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चावल की खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र क्रमशः 31,000 हेक्टेयर, 58, 10,000 हेक्टेयर और 2,19,000 हेक्टेयर है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगली फसल की बुवाई के लिए विशेष रूप से अक्टूबर-नवंबर के दौरान खेतों को साफ करने के लिए धान के पुआल को जलाने का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। 2016-17, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान आईसीएआर द्वारा तीन राज्यों (पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर की अवधि के लिए) में कुल धान पराली जलाने की घटनाओं की रिपोर्ट 127,774, 88,948, 75,563, 61,332 और 89,430 क्रमशः थी। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विशेष रूप से अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली जलाना गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में गिरावट के साथ-साथ मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव में इसका सीधा योगदान है।

(ख) इस कृषि प्रथा को समाप्त करने और एक व्यापक रूपरेखा और कार्य योजना को लागू करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। पराली जलाने के उन्मूलन के लिए रूपरेखा और कार्य योजना के महत्वपूर्ण घटक मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं:

क. इन-सीटू /फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)।

ख. एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)।

ग. पराली/फसल अवशेषों को जलाने का निषेध।

घ. प्रभावी निगरानी/प्रवर्तन।

ङ. धान की पराली के उत्पादन को कम करने के लिए योजनाएं

च. कार्य योजना के लिए आईईसी गतिविधियां।

11. इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम):- इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं में, कटाई की गई फसल के डंठल / ठूठ को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फसल अवशेषों को रिसाइकिल करने के लिए मिट्टी में इन-सीटू शामिल किया जाता है। फसल

अवशेष/पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने पर" एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में कुल 1,726.67 करोड़ रुपये, पंजाब (793.18 करोड़ रुपये), हरियाणा (499.90 करोड़ रुपये) उत्तर प्रदेश (374.08 करोड़ रुपये) और एनसीटी दिल्ली (4.52 करोड़ रुपये) (2018-19, 2019-20 और 2020-21) के दौरान प्रदान किये गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,56,843 मशीनों की आपूर्ति की गई है। (पंजाब - 71,410, हरियाणा - 51,049, उत्तर प्रदेश 34,341 और दिल्ली के एनसीटी - 43) अकेले पंजाब में 2018-19 और 2019-20 के दौरान 50,815 सीआरएम मशीनें प्रदान की गई हैं और पंजाब में कुल मशीन संख्या दिसंबर 2020 तक 74,637 तक पहुंच गई है, जिसमें कृषि मशीनीकरण पर सब मिशन (एसएमएम) के तहत मशीनें भी शामिल हैं।

इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कार्य योजना के तहत लक्षित गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

(क) राज्य सरकारें कृषि यंत्रीकरण पर सब-मिशन (एसएमएम) के तहत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों और मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं।

ख) राज्यों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए विशेष कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न आवश्यकता आधारित, स्थान विशिष्ट हस्तक्षेपों की पहचान करने और चल रहे विभिन्न वार्षिक कार्य योजना के तहत (ए डब्लू पी) आईसीएआर की योजनाएं/कार्यक्रम/मिशन के तहत इसे लागू करेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे, जो फसलों के अवशेषों के प्रबंधन सहित कृषि के सरकार के समग्र और एकीकृत विकास के लिए आवश्यक किसी भी घटक/हस्तक्षेप को लेने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करती है।

(ग) किसान के घर-द्वार पर मशीनें उपलब्ध कराना:-

(i) सीआरएम मशीनरी की मांग का ग्राम/ब्लॉक/जिलावार मानचित्रण (मैपिंग)।

(ii) राज्य के प्रत्येक जिले में सीआरएम मशीनों की उपलब्धता के अनुसार गैप विश्लेषण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांव और व्यक्तिगत किसान के स्तर पर मांग-आपूर्ति बेमेल की पहचान की जाती है और उसे ठीक किया जाता है।

(iii) किसान के खेत में बेहतर मशीन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर कटाई के कार्यक्रम को अलग-अलग समय पर करना

(iv) सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों के साथ मशीनों की उपलब्धता के आधार पर किसानों की विशिष्ट आवश्यकता एवं (कटाई का अलग-अलग कार्यक्रम) के अनुसार सीआरएम मशीनों (सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, आदि) का उचित आवंटन, ।

(v) सीआरएम मशीनरी की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिलेवार फायर काउंट मैपिंग और संबंधित वर्ष में तैनात मशीनों की संख्या के बीच सहसंबंध विश्लेषण शामिल होना चाहिए। यह भविष्य में सीआरएम मशीनरी की ठीक आवश्यकता, वितरण और आवंटन के लिए एक आधार बनाने में मदद करेगा।

(vi) एक सक्षम संस्थान/संगठन को सौंपे गये एक अध्ययन के माध्यम से एक कुशल फसल अवशेष प्रबंधन और आर्थिक व्यवहार्यता के लिए मशीनों के आदर्श मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करना।

(vii) विशिष्ट मशीन उपयोग लक्ष्यों के साथ एक कार्यक्रम के माध्यम से मशीन के उपयोग को बढ़ाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करना। इस उद्देश्य के लिए, सीएचसी और सहकारिता को राज्य सरकार द्वारा तय किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मशीन उपयोग डेटा भरने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(viii) लास्ट माइल डिलीवरी में टकराव को कम करने के लिए लीवरिंग प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा तय किए गए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए/किसानों को बुक करने और मशीनों का उपयोग सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए प्रत्येक गांव में प्लेटफॉर्म पर बुकिंग और किसानों को मशीनों की डिलीवरी की सुविधा के लिए एक अधिकारी नामित किया जा सकता है।

(ix) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे और सीमांत किसानों को उनके द्वारा चुने गए अवशेष प्रबंधन विकल्प के आधार पर सीआरएम मशीनरी और स्ट्रा बेलिंग उपकरण के लिए डोर स्टेप एक्सेस (यदि संभव हो, मुफ्त/रियायती शर्तों पर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(घ) राज्य सरकारें ग्राम प्रधानों और नोडल अधिकारियों/क्लस्टर अधिकारियों को शामिल करते हुए ग्राम स्तरीय गैर-बासमती फसल रकबे का आँकलन करवाएं और कस्टम हायरिंग सेंटरों/कृषि सेवा से किसानों को सहायक उपकरण के साथ फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी तक पहुंच के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करें। ऑनलाइन व्यवस्था में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी और सहायक उपकरणों की आपूर्ति और पहुंच के समन्वय के लिए व्यक्तिगत किसानों को स्वचालित एसएमएस की सक्षम व्यवस्था की जाए।

ड) फसल अवशेषों के प्रभावी इन-सीटू प्रबंधन के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि "सुपर एसएमएस" का उपयोग कंबाइन हार्वेस्टर के संयोजन में किया जाना अनिवार्य है और कंबाइन हार्वेस्टर की सभी नई खरीद सुपर एसएमएस अटैचमेंट के साथ होनी चाहिए। इससे खड़े भूसे को कम करने और कटे हुए भूसे को गीली घास के रूप में बेहतर उपयोग करने में सुविधा होगी। सुपर एसएमएस अटैचमेंट को भी ऐसे अटैचमेंट के बिना पहले खरीदे गए मौजूदा कंबाइन हार्वेस्टर पर रेट्रोफिट करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

च) राज्य सरकारें सुपर सीडर/हैप्पी सीडर/टर्बो सीडर/श्रेडर और जीरो-सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल आदि का उपयोग सुनिश्चित करें ताकि फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन को सुगम बनाया जा सके और भूसे को किसान के खेत में सतही मल्टिंग के रूप में बनाए रखा जा सके।

छ) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र गेहूं की बुवाई और आलू और अन्य सब्जी फसलों के रोपण के लिए मिट्टी में शामिल करने के लिए फसल अवशेषों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देंगे।

ज) राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश किसानों को हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी हल का उपयोग करके भूमि की तैयारी के लिए बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करते हैं जो फसल के ठूठों को उखाड़ने और मिट्टी की परतों को तोड़ने में मदद करता है:

झ) राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश माइक्रोबियल कंसोर्टिया का उपयोग करके धान के भूसे को विघटित करने के लिए बायो-डीकंपोजर प्रौद्योगिकी विकल्पों को शामिल करते हुए फसल अवशेषों के उपलब्ध इन-सीटू प्रबंधन को नोट करें और सीआरएम मशीनों के साथ पूरक मोड में भी बायो-डीकंपोजर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की संभावनाओं पर काम करें। आईसीएआर ने निष्कर्ष निकाला है कि बायो-डीकंपोजर को इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के साथ आसानी से ब्लेंडेड किया जा सकता है और छिड़काव के बाद प्रभावी इन-सीटू

अपघटन के लिए बायो-डीकंपोजर, सुपर सीडर और रोटोवेटर को अवशेषों के उचित मिश्रण के लिए संचालित किया जा सकता है। मिट्टी और फिर खेतों में नमी सुनिश्चित करने के लिए हल्की सिंचाई की जाती है।

ज) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, (आसपास के क्षेत्र में रखने के लिए किसानों को स्व-चालित क्रोप रीपर, रीपर बाइंडरों का उपयोग करके फसल अवशेषों को इकट्ठा करने और बंडल बाधने के लिए प्रोत्साहित करते हैं) क्लस्टर अधिकारी की देखरेख में पंचायत प्रधानों, ग्राम नोडल अधिकारियों, ग्राम राजस्व अधिकारियों आदि को शामिल करते हुए उपयुक्त योजना के माध्यम से अपनी भूमि / गाँव की आम भूमि / मवेशी तालाब / गौशाला आदि में काम किया जाता है। खेतों में खाद के रूप में उपयोग करने के लिए जैव-अपघटन में तेजी लाने और जैव समृद्ध खाद / वर्मिन कंपोस्ट की तैयारी के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इस तरह के स्टैकड चावल धान के भूसे की गांठों को एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए उद्योगों को आपूर्ति की जा सकती है या बायो-डीकंपोजर के साथ मिलाया जा सकता है।

ट) राज्य सरकारों को धान की पराली के प्रबंधन के लिए लंबी अवधि प्रदान करने के लिए छोटी अवधि की किस्मों का उपयोग करके चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। धान की विभिन्न किस्मों की बुवाई/रोपाई की समयबद्ध सूची आईसीएआर की सलाह के अनुसार गांव/क्लस्टर आधार पर भी अपनाने की जरूरत है, ताकि इन-सीटू भूसे प्रबंधन के लिए उपलब्ध सीआरएम मशीनरी का अधिकतम आवंटन किया जा सके।

12. एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम):-

एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन विकल्पों में कृषि अवशेष/भूसे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और आर्थिक मूल्य जोड़ने की क्षमता है, जिससे एनसीआर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, कृषि अवशेष के जलने को कम किया जा सकता है। सरकारी और निजी दोनों एजेंसियों द्वारा एक्स-सीटू विकल्पों का प्रयास किया गया है। इस संबंध में, उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल के साथ-साथ बिजली कंपनियों द्वारा भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां बायो-एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायो-गैस संयंत्र स्थापित कर रही हैं।

ऐसे एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकारों की आवश्यकता है।

क) विभिन्न एक्स-सीटू परियोजनाओं के लिए समयबद्ध तरीके से धान की पुआल सामग्री की सुनिश्चित उपलब्धता/आपूर्ति के लिए एक तंत्र/नीति विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें नीचे दी गई विस्तृत रूपरेखाओं के अनुरूप अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कार्रवाइयां शामिल होनी चाहिए:-

(i) अधिकतम मात्रा आवंटन और उपयोग के लिए विभिन्न उद्योगों (जैव ईंधन परियोजनाओं, ताप विद्युत परियोजनाओं, आदि) से कृषि भूसे की उपलब्धता और मांग के लिए जिलों और गांवों का मानचित्रण करें।

(ii) पर्याप्त और प्रभावी बुनियादी ढांचे के साथ गांव/ब्लॉक/जिला स्तर पर संस्थानों/एग्रीगेटर्स की स्थापना करें जिसमें किसान के दरवाजे पर सीआरएम मशीनरी की उपलब्धता और तैनाती, भूसे का ऑन और ऑफसाइट भंडारण, खेतों से संबंधित भंडारण, केंद्रों उद्योगों के लिए ऐसे केंद्र तक भूसे का पहुँचाना शामिल है।

(iii) पैनल में शामिल एग्रीगेटर एजेंसियों के माध्यम से या धान अवशेषों के वास्तविक आर्थिक और वाणिज्यिक मूल्य के दोहन के लिए किसी अन्य तंत्र के माध्यम से फसल अवशेषों के औद्योगिक उपयोग के लिए संग्रह, भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त विकेन्द्रीकृत तंत्र विकसित करना।

(iv) आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष हस्तक्षेप दोनों को शामिल करते हुए और कृषि पुआल की गुणवत्ता मुख्य रूप से इसमें नमी की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र विकसित करना।

(v) भूसे के उचित उपयोग के लिए औद्योगिक स्थलों पर अपेक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।

(vi). कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों आदि के लिए कच्चे माल/ईंधन के रूप में ब्रिकेट, टॉरफाइट चारकोल, पेलेट आदि बनाने के लिए बिजली उत्पादन, बायो-एथेनॉल और बायो-गैस के उत्पादन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए बेल्ड फसल अवशेषों के विविध एक्स-सीटू उपयोग को बढ़ावा देना।

(vii.) कृषि पुआल-आधारित उत्पादों और सेवाओं के विपणन को सुगम बनाना, ताकि विभिन्न एक्स-सीटू विकल्पों के बनाये रखने का समर्थन किया जा सके।

(ख) नीति के माध्यम से विभिन्न प्रयोजनों जैसे कागज/बोर्ड/पैनल/पैकेजिंग सामग्री बनाने वाले उद्योगों, खाद, मशरूम की खेती आदि के लिए बेल्ड फसल अवशेषों के विविध एक्स-सीटू उपयोग को बढ़ावा देना।

ग) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के तहत अनुमत सभी लाभों के लिए धान के भूसे को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं विकसित करना;

घ) भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर ज़रूरत से अधिक राज्यों से चारा की कमी वाले राज्यों में धान के भूसे के परिवहन की सुविधा प्रदान करना।

13. पराली/फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध:

क) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2013 के ओ.ए.संख्या 118 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के तहत धान की पराली को जलाने पर रोक लगा दी है और विस्तृत निर्देश पारित किए हैं जिसके तहत चूक कर्ताओं के खिलाफ पर्यावरणीय मुआवजा लगाना शामिल है।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 04.11.2019 के आदेश के माध्यम से पूरे पुलिस तंत्र, ग्राम प्रधान और सरपंच सहित एनसीआर की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पराली जलाने की कोई भी घटना न हो।

ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 19(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा को कृषि अवशेष जलाने पर प्रतिबंध अधिसूचित करती हैं (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जहां ऐसे आदेश जारी नहीं किये गए हैं)।

घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुपालन में चूक कर्ताओं के खिलाफ पर्यावरण मुआवजा लगाने के आदेश जारी करने हैं। पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की समय पर वसूली के लिए एनजीटी निर्देश देता है और इस उद्देश्य के लिए अधिकारियों को अधिकृत करता है और सशक्त बनाता है।

ड) धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पहले सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित करते रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें ऐसे निषेध आदेशों की अधिसूचना सुनिश्चित कर सकती हैं, उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कृषि अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, जहां ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

च) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत धान की पराली के इन-सीटू प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी कंबाइनों के लिए सुपर एसएमएस सिस्टम (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जहां ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है) को अनिवार्य बनाते हुए आदेश पारित करें।

14. प्रभावी निगरानी/प्रवर्तन:-

पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय/एनजीटी/उच्च न्यायालय/राज्य सरकार/एसपीसीबी के कानूनों और आदेशों/निर्णयों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और इसके माध्यम से उल्लंघनकर्ताओं/ चूककर्ताओं, राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभाग/एजेंसियां/बोर्ड निम्नवत हैं:-

क) धान की कटाई के मौसम के दौरान खेत में आग की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक मानक प्रोटोकॉल (इसरो द्वारा अंतिम रूप दिया जाने के तहत) का पालन करें, रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से धान के पुआल को जलाने की घटनाओं की सख्ती से निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि एसएमएस अलर्ट भेजा गया है। पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए क्षेत्र के पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है।

ख) धान के मौसम में मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन को चालू किया जाए, जिसमें रोल-आधारित लॉग-इन (ग्राम नोडल, क्लस्टर, उपमंडल/तहसील, जिला और राज्य स्तर पर) विभिन्न अधिकारियों को एंड-टू-एंड रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया जाता है जिसके तहत, प्रत्येक आग की घटनाओं के लिए कार्रवाई की जाती है।

ग) कटाई के मौसम में पराली जलाने पर नियंत्रण के उद्देश्य से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करें।

घ) पीसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि रिमोट सेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त फसल अवशेषों को जलाने के संबंध में सभी डेटा और घटनाओं पर की गई कार्रवाई और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट डेटा को ड्रिल करने के लिए डैशबोर्ड की सुविधा के साथ वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध हैं।

ड) क्षेत्र विशेष के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती यह सुनिश्चित करने के लिए कि पराली जलाने पर प्रतिबंध के आदेशों का अनुपालन किया जाता है, प्रत्येक आग की घटनाओं की एंड-टू-एंड रिपोर्टिंग और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि फसल अवशेष जलाने के मामलों में उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज करना / अभियोजन शुरू करना शामिल है। मामले की निगरानी विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार की जानी है:

(क.) राज्य स्तर

(ख.) जिला स्तरीय अधिकारी

(ग.) अनुमंडल/तहसील अधिकारी

(घ.) क्लस्टर अधिकारी

(ड.) ग्राम नोडल अधिकारी

च) सुनिश्चित करें कि पुलिस अधिकारी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध के संबंध में जारी विभिन्न निर्देशों और आदेशों को लागू करते हैं। हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए पुलिस जिला प्रशासन को विशेष रूप से विशेष सहायता देगी। ऐसे स्थान जहाँ पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाने की घटनाएं देखी गई हैं।

छ) भूमि मालिकों और/या अनुबंधित किसानों को उत्तरदायी बनाएं पराली जलाने पर प्रतिबंध के आदेशों के उल्लंघन के लिए अनुबंधित किसानों का डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा।

ज) पराली/फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध संबंधी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठेके पर अपनी जमीन देने वाले किसानों से संपर्क करें और उन्हें जागरूक करें।

झ) सुनिश्चित करें कि आयोग एजेंट, नंबरदार, पंचायत सदस्य, पंचायत भूमि या शामलात के पट्टाधारी गांवों की भूमि, सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी फसल

अवशेष नहीं जलाएंगे। फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ज) सुनिश्चित करें कि पटवारी गिरदावरी रजिस्टर में या विभिन्न राज्यों में प्रचलित ऐसे ही रिकॉर्ड में, उन खेतों/खेत मालिकों के खिलाफ लाल स्याही प्रविष्टि के साथ दर्ज करें जहां से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की सूचना मिली है। प्रत्येक उल्लंघनकर्ता/ऐसे लाल स्याही प्रवेश मामलों के लिए दंडात्मक उपायों और/या हतोत्साहन की एक प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है। निरुत्साहन में बिजली शुल्क, जल शुल्क, उर्वरक आदि की रियायतों को रोकना शामिल हो सकता है।

ट) पूरे राज्य में धान की भूसी के भंडारण के लिए खाली आम ग्राम भूमि या किसी अन्य भूमि की पहचान करें।

ठ) जिले के उपायुक्त और एसएसपी संयुक्त रूप से धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ जिला स्तरीय निगरानी बैठक करेंगे। विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध कर्मचारियों के पूल से प्रयासों के समन्वय के लिए प्रत्येक गांव के लिए एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक 20 गांवों (या आवश्यकता के अनुसार) के लिए एक क्लस्टर अधिकारी नियुक्त करें।

ड) पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए ग्राम नोडल अधिकारी, राजस्व अधिकारी (पटवारी), क्लस्टर अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस और एसडीएम जैसे विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानकारी फसल कटाई के मौसम से पहले एक उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा समन्वित किए जाने वाले एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी मंच में उपलब्ध हो।

ढ) जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हॉट स्पॉट (गाँव जहाँ पिछले तीन साल से गाँव का 75% से अधिक क्षेत्र जला दिया गया है) का दौरा सुनिश्चित करें और इन गाँवों में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए विशेष व्यवस्था करें।

ण) सुनिश्चित करें कि नोडल अधिकारी प्रत्येक घटना स्थल का तुरंत दौरा करें, लेकिन निश्चित रूप से स्थिति का आँकलन करने और उचित कार्रवाई करने के लिए दो दिनों के भीतर दौरा किया जाना चाहिए ।

त) विभिन्न हितधारक विभागों की प्रगति की निगरानी करना और समेकित प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को ईमेल पर भेजी जायेगी। समेकित रिपोर्ट को मुख्य सचिव एवं आयोग को भेजी जायेगी ।

थ) राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/एजेंसियों के प्रयासों को लामबंद और प्रभावी समन्वय द्वारा और राज्य स्तर, जिला स्तर, उप-मंडल स्तर के साथ-साथ क्लस्टर अधिकारियों और ग्रामों की नोडल अधिकारी नियुक्ति करके तंत्र स्थापित करके कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया जाए।

(क.) राज्य स्तरीय समन्वय और निगरानी:

(i) राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव के अधीन एक समिति और जिसमें सभी संबंधितों के प्रशासनिक सचिव शामिल हों और संबंधित विभाग धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के समन्वय, निगरानी और निर्णय लेंगे:

(ii) राज्य सरकार प्रतिबंध के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सचिवों की प्रतिनियुक्ति करेगी। उन्हें पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ।

ख. **जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी** :- उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक निगरानी समिति होगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य कृषि अधिकारी और संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल होंगे। जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति की बहुधा बैठक होगी और आईसी गतिविधियों, प्रवर्तन गतिविधियों और अन्य सुविधा गतिविधियों की समीक्षा करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

ग. **अनुमंडल स्तर पर समन्वय एवं निगरानी** - उपखण्ड स्तरीय निगरानी समिति होगी जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष के रूप में होगा जिसमें पुलिस उपाधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य होंगे। समिति दैनिक/वैकल्पिक दिन बैठक आयोजित करेगी और विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

घ). क्लस्टर अधिकारी:- मोबाइल बेस एप में क्लस्टर अधिकारी चालान संख्या एवं तिथि, चालान राशि एवं चालान फोटो के संबंध में डाटा भरेगा और किसानों द्वारा पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए ग्राम नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ड). ग्राम नोडल अधिकारी:- प्रत्येक गांव में तैनात नोडल अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/मोबाइल एप्लिकेशन पर सीआरएम की बुकिंग और किसानों को मशीनों की डिलीवरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। ग्राम नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में आग लगने की प्रत्येक घटना की सूचना पहले से चालू एसएमएस अलर्ट सिस्टम से प्राप्त करेंगे। ग्राम नोडल अधिकारी मैदान में घटनास्थल का दौरा करेंगे, मोबाइल एप को संचालित करेंगे और मोबाइल एप में आग के घटना स्थलों की तस्वीर के साथ प्रविष्टियां करेंगे। ग्राम नोडल अधिकारी ग्राम स्तर पर विभिन्न सुविधा और प्रवर्तन गतिविधियों में सहायता करेगा जैसे कि गाँव में जागरूकता पैदा करना, उन किसानों की पहचान करना जिनके द्वारा धान के अवशेषों को जलाने की सम्भावना है ताकि उन्हें न जलाने के लिए मनाया जा सके, उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिन्होंने धान को जलाया है। अवशेष, फसल जलने आदि की घटनाओं की रिपोर्ट करें।

15. धान की पराली के उत्पादन को कम करने के लिए योजनाएं:

राज्य सरकारों को निम्न पर केंद्रित कार्रवाई करनी चाहिए:-

क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों में बासमती किस्म का रकबा काफी कम हो गया है, बासमती किस्म को बढ़ावा दें।

ख) पूसा 44 किस्म के धान के बीजों के उपयोग को हतोत्साहित (और पूरी तरह से स्थगित) करें और इसके बीजों का प्रमाणीकरण बंद करें ताकि गैर-बासमती रकबे को कम अवधि के चावल की किस्मों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ग) कम अवधि और जल्दी पकने वाली किस्मों को बढ़ावा देना क्योंकि उन्हें पर्याप्त कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है और धान की पुआल प्रबंधन के लिए एक व्यापक विण्डो प्रदान करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष रूप से विभिन्न छोटी अवधि की धान की किस्मों की सिफारिश की है जो लंबी अवधि की किस्मों को बदलने के लिए उपयुक्त हैं। आयोग ने भी इसकी आवश्यकता को दोहराया है और तदनुसार राज्य सरकारों के साथ विषय को उठाया है।

घ) विभिन्न धान उगाने वाले क्षेत्रों में कम अवधि और जल्दी पकने वाली किस्मों को जल्दी से अपनाना सुनिश्चित करें। कम अवधि की किस्में पंजाब के कुछ जिलों में किसानों द्वारा अच्छी तरह से अपनाया गया है लेकिन कई अन्य जिलों में अपनाने की गति धीमी है और लंबी अवधि की किस्मों के तहत बड़ा क्षेत्र है।

ड) **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।** फसल विविधीकरण कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आरकेवीवी की एक उप-योजना के रूप में 2013-14 से लागू किया जा रहा है ताकि पानी की खपत वाले धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा जा सके। हालांकि, फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन, साइट विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न हस्तक्षेप किए जाते हैं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

च) उन फसलों की पहचान करें जो धान-गेहूं फसल चक्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और किसानों को धान से पराली उत्पादन को काफी हद तक कम करने के लिए लाभकारी और सुनिश्चित मूल्य प्रदान करती हैं। क्षेत्र के लिए संभावित विकल्पों में अन्य बातों के साथ-साथ, बागान के साथ, ड्रिप सिंचाई, सब्जियां, अनाज /मक्का, कपास, दलहन और तिलहन आदि शामिल हो सकते हैं जो कम पानी, कम बिजली और कम उर्वरक की खपत करते हैं।

राज्य सरकारों को फसल विविधीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर फसल विविधीकरण पर एक विस्तृत नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से उचित सहायता और समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

16. कार्य योजना के लिए आई. ई. सी. गतिविधियां:-

क) कटाई के मौसम की शुरुआत से बहुत पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ प्रकाशनों, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों आदि के माध्यम से फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में विस्तृत आई. ई. सी. गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें।

ख) फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों और इसके प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के बारे में उपयुक्त स्थान विशिष्ट क्षमता निर्माण और लक्षित जागरूकता मॉड्यूल और कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित किया जाए।

ग) सभी संबंधित विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मेला, जिला केवीके, सार्वजनिक / निजी संस्थानों, ग्राम कृषि स्वयंसेवकों, सरपंचों, विशेषज्ञों / किसान संघों और सभी सक्रिय / गैर सरकारी संगठनों द्वारा पूर्ण जुड़ाव और तालमेल के साथ पुनर्गठित सीआरएम गतिविधियों के माध्यम से जिलेवार आई.ई.सी. अभियान कार्यक्रम को अधिसूचित करें।

घ) प्रिंट और मल्टी-मीडिया विज्ञापन, अन्य बातों के साथ-साथ, रेडियो चैनलों पर जिंगल, विज्ञापन फिल्मों का निर्माण, टीवी चैनलों पर लघु फिल्मों को चलाना, राज्य रोडवेज / एसआरटीसी बसों सहित पराली जलाने के खिलाफ डिस्प्ले बोर्ड, बस में डिस्प्ले बोर्ड शामिल हो सकते हैं। राज्य में बस स्टैंड, मार्केट कमेटी यार्ड और सहकारी समितियां, नारों के साथ गांवों में दीवारों की पेंटिंग, धान जलाने, बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया विज्ञापन, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग और पैनल लगाने, गांवों में प्रचार वैन चलाने, प्रत्येक गांव के लिए नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, किसानों को पर्चे और पत्रक वितरित करना आदि।

ड) पराली जलाने के गंभीर प्रभावों को प्रभावी ढंग से सम्प्रेषित करने के लिए विधार्थियों को शामिल करें और प्रबंधन के विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

च) आई. ई. सी. भागीदारों के मार्गदर्शन के माध्यम से डीकम्पोज़र एप्लीकेशन आवश्यकताओं को व्यवस्थित करके और नामित नोडल अधिकारी द्वारा ब्लॉक/ग्राम स्तर की कृषि मशीनरी से सहायता प्रदान करके किसानों का समर्थन करें।

छ) माइक्रोबियल कंसोर्टिया तकनीक के लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए 2021 के दौरान और उसके बाद मजबूत समर्थन अभियान मॉड्यूल बनाएं।

ज) केवीके और अन्य समान अधिसूचित स्थानों पर क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। संग्रह, मात्रा में कमी और परिवहन की सुविधा के लिए कृषि मशीनरी के कुशल और प्रभावी

उपयोग के लिए किसान मेला / क्षेत्र (फील्ड) कृषि विस्तार केंद्र / कृषि विश्वविद्यालय परिसर आदि आयोजित करें।

(झ) राज्य कृषि विभाग और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर फसल अवशेष संसाधन संरक्षण और प्रबंधन मशीनरी का प्रदर्शन करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन।

ञ) राज्य कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के उद्देश्य से कार्यरत कृषि और लाइन विभागों, कॉल सेंटर्स और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।

ट) कृषि विभाग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा धान के अवशेषों के प्रबंधन के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को क्षेत्र स्तर पर इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए संभावित समर्थन देकर सहायता करें।

17. राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों को स्पष्ट रूप से सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ, उपरोक्त ढांचे की रूपरेखा के आधार पर एक विस्तृत/व्यापक कार्य योजना को प्रत्येक राज्य सरकार/ जी.एन. सी. टी. डी. द्वारा तुरंत अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। कार्यान्वयन की समय सीमा के साथ-साथ विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों और उनमें से प्रत्येक के खिलाफ संबंधित लक्ष्यों की विधिवत पहचान करते हैं।

योजना में पराली जलाने की प्रथा और वायु गुणवत्ता पर इसके परिणामी प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संबंधित राज्यों द्वारा जून 30, तक 2021 आयोग को कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी प्रगति पर आयोग द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी।

हस्ता ०

(अरविंद कुमार नौटियाल)

सदस्य सचिव

दूरभाष: 011-20861974

ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में:

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

प्रतिलिपि :

- 1., अपर मुख्या सचिव, पर्यावरण, हरियाणा सरकार
2. प्रधान सचिव (कृषि), हरियाणा सरकार
3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4. सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(अरविंद कुमार नौटियाल)